

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सी५

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सी५

१२/२५

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सी५ व नू.अ.ति. १२/२५ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सी५/नायब तहसीलदार सी५ की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम सी५/११५/११५ तहसील सी५ व जिला सी५/११५/११५ की जमाबन्दी सम्बन्ध १०/२५ में खाता संख्या १८० में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है)
०१	सी५/११५/११५	१८०	रिक्के नुमा प्रि. डी.पी.ए.ए.	रिक्के नुमा प्रि. डी.पी.ए.ए.

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी, सी५
उपखण्ड अधिकारी, सी५
जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

क्रमांक :- १२/२५

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार सी५ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री रिक्के नुमा प्रि. डी.पी.ए.ए. को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी, सी५
उपखण्ड अधिकारी, सी५
जिला-राजसमन्द